भारत के उप–राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली – 110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस–55/1/आर.टी.आई./53/2025–2026 13 जनवरी, 2026

श्रीमती लक्ष्मी गागराई,
गाँव–बीचाबु, पो0–खैरपाल,
थाना–कुमारडुँगी, पश्चिमी सिंहभूम,
झारखण्ड–833214।

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में आपकी दिनांक 07.01.2026 की आर.टी.आई. इस सचिवालय में 09.01.2026 को प्राप्त हुई है, जिसके साथ 10 रूपये का पो०आ०सं० 66एफ 549704 संलग्न कर आपने अपने आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपके दिनांक 03.11.2025 के आवेदन को इस सचिवालय की नियमावली के अनुसार फाइल कर दिया गया है जिसकी कोई पावती नहीं दी जाती।

(सरिता चौहान)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

RTI-53

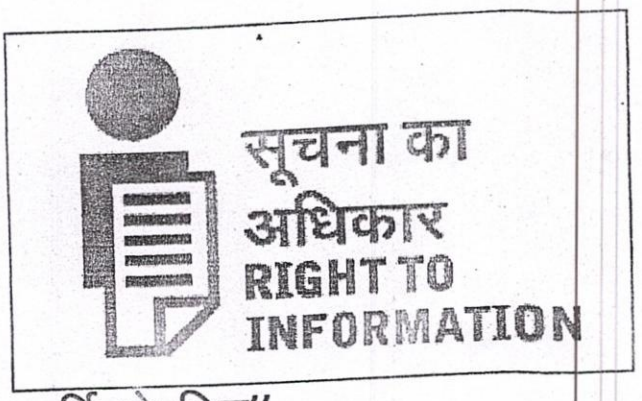

Vice President's Secretariat
Dy.No. 967
Date 9/1/26
New Delhi

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

"न्याय की उद्देश्यपूर्ति के लिए"

उच्च प्राथमिकता

(सूचनाधिकार मामला अतिआवश्यक)

"RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005", SECTION-7(1)

के तहत अनुरोध पत्र

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद–19(1)(A) के तहत सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है) वर्ष–1976 में राज्य नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था।

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद–19 (1)(A) के तहत

"RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005")

माननीय न्यायालय ने राजिन्दर सिंह बनाम् प्रेम मल, (2007) 11 एससीसी 37 में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था :–

"भारत में लोग इस स्थिति से पूरी तरह निराश हैं और मामलों के निपटारे में अत्यधिक देरी के कारण न्यायपालिका पर से उनका भरोसा उठ रहा है हम संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि अगर न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बना रहना हैं तो वे इस मामलें में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें ताकि मामलों का निपटारा तेजी से हो सके।"

उपरोक्त के मद्देनजर, न्यायालय ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को मामले को यथाशीघ्र निपटाने का निर्देश दिया (पेल्लूरी। वेंकट हनुमंत कृष्ण मूर्ति शर्मा बनाम्

पेल्लूरी वेंकट लक्ष्मी नरसिम्हा राव, 2020 एससीसी ऑन लाइन एपी 1750, 07–02–2020 को तय किया गया।)

न्याय में देरी न्याय से इन्कार के समान है माननीय सुप्रीम कोर्ट

Hon'ble SUPREME COURT: जल्द सुनवाई न होना मौलिक अधिकारों का हनन। संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत मिले अधिकार का उल्लंघन हुआ है। पीठ ने कहा कि सुनवाई में देरी से न सिर्फ पीड़ितों बल्कि भारतीय समाज और न्याय व्यवस्था और इसकी विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचता है।

पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा– 29 कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है।

पत्रांक संख्याः– 04 / RTI / 2025–2026 दिनांकः– 07-01-2026

सेवा में,

श्रीमान् जन सूचना पदाधिकारी (P.I.O) महोदय,

–सह–

श्रीमान् माननीय उप राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली, भारत-सरकार, उपराष्ट्रपति भवन, 108, चर्च रोड, नई दिल्ली - 110001.

प्रसंग सं0– दिनांक:-03-11-2025, का आवेदन-पत्र, speed post No- EJ400570238IN, Date-08-11-2025, Item-Delivered on Date-15-11-2025.

विषयः– **"RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005", SECTION-7(1) LIFE & LIBERTY के तहत 48 घण्टें में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र के संबंध में।**

नोटः– "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के तहत "लोक प्राधिकारियों" की बाध्यताएँ, **SECTION-7(1)**, किसी व्यक्ति के "जीवन या स्वतंत्रता" से है वह अनुरोध प्राप्त होने के "अड़तालीस घण्टे" के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

महोदय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मुझे "विधि" [**"RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005", SECTION-7(1)**, सम्मत यथाशीघ्र महत्वपूर्ण सूचनाएँ अड़तालिस घण्टे" के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–19(1)(A) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, धारा–7(1) के तहत मेरे जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है। .....

.....

.....

.....

महत्वपूर्ण सूचना संख्या–1 **Please provide me file noting, and correspondence, movement of RTI Act, 2005, any other information Sec-2(f) in RTI Act, 2005 All Related Document Want. (Information means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, repors, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force).**

महत्वपूर्ण सूचना संख्या–2. Please provide me with all the document related to action intiated on my complain letter Date 03-11-2025.....copy of the complaint letter is enclosed with this application.

महत्वपूर्ण सूचना संख्या–3. Daily progresss made on my application from 03-11-2025..... to till date.

महत्वपूर्ण सूचना संख्या–4. Please provide me under **RTI Act, 2005 Sec-4(1)b Name and designation of officials taking Action on my application Date.** 03-11-2025

महत्वपूर्ण सूचना संख्या–5. Please provide me my application letter date 03-11-2025..... certified copy.

I request you to ensure that informationi s provided before the **expiry of the 48 hrs. [RTI Act, 2005, Seciton-7(1)]** period after you have received the Application.

Enclosed:-

1. Fees of RTI Act, 2005

   IPO Rs. 10/-

   IPO No. 66F 549704

2. Letter date 03-11-2025

लक्ष्मी ग्रागराई
Signature of the Applicant

Name- लक्ष्मी ग्रागराई

Correspondence Address-

New Colony, Tungri Chaibasa

paschim Singhbhum

Jharkhand - 833201

....

नोट :– ऐसे बाद जिसमें आयोग ने जन सूचना पदाधिकारी के विरूद्ध आर0टी0आई0 एक्ट 2005 की धारा 20 (1) एवं 20(2) तथा लोक प्राधिकार के विरूद्ध 19 (8) (b) में कार्रवाई की है उसे निष्पादित माना जायेगा और उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि **"Even where fine is imposed or disciplinary action is ordered] it is no part of the duty of the officials who passed the order to ensure that Fine is recoverd and disciplinary action is taken-."**